<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : ओ.पी. बुनकर, आर.ए.एस.)
प्रकरण स. : 14/2021 (राजस्व अपील)
GCMS NO : 2021/34

अनवान

1. श्री कालुलाल पिता स्व. श्री मोडा जी डांगी निवासी धावडिया तहसील सराडा जिला उदयपुर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सराडा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री पदमलाल पिता स्व. श्री मोडा जी डांगी निवासी धावडिया तहसील सराडा जिला उदयपुर।
3. श्री महेन्द्र पिता स्व. श्री मोडा जी डांगी निवासी धावडिया तहसील सराडा जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री भूरालाल डांगी, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता रे. 1 ।
3. श्री राजेश कुमार पटेल अधिवक्ता रे. 3।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

<u>अपील विरूद्ध प्र.सं. 272/2021 न्यायालय उपतहसीलदार जयसमन्द आदेश दिनांक 30.11.21</u>

* <u>निर्णय</u> *

दिनांक — 12-04-2023

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम धावडिया पटवार हल्का पलोदडा में स्थित आराजी संख्या 316 रकबा 16 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी एवं विपक्षी पदमलाल व महेन्द्र का अतिक्रमण के सम्बन्ध में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जयसमन्द के आदेश दिनांक 30.11.2021 को भूमि से कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

हटाने तथा अपीलार्थी पर वार्षिक कर निर्धारण ₹250रू शास्ति आरोपित करते हुए भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किया जाने का आदेश पारित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है। उक्त भूमि पर 50–60 वर्षो से भी अधिक समय यानि कि विक्रम सम्वत् 2022 से पूर्व से ही अपीलार्थी कालुलाल अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उक्त भूमि पर भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनायी गयी है तथा भूमि के चारों तरफ पत्थर की कोट बनाई गयी हैं तथा भूमि पर तिल, ज्वार, व बाजरे की फसल काश्त करते आ रहे हैं और निरन्तर 50 वर्षो से भी अधिक समय से काबिज हैं। अपीलार्थी पिता के निधन के बाद से मैं कालूलाल उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा हूं। उक्त भूमि सम्वत् 2039 से पूर्व में बिलानाम थी जिसके साबिक आराजी संख्या 62 रकबा 413 बीघा 15 बिस्वा भूमि थी किन्तु दौराने बन्दोबस्त सम्वत् 2039 में उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना मौका देखे अन्य भूमि के साथ अपीलार्थी कालुलाल के कब्जे वाली भूमि को भी चारागाह भूमि में सम्मिलित कर दिया हैं जबकि अपीलार्थी कालुलाल के कब्जे वाली उक्त 2 हेक्टेयर भूमि कभी भी चारागाह की भूमि के रूप में कभी भी काम नहीं आयी है। मात्र राजस्व रेकार्ड में राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत अंकन हो गयी है। अपीलार्थी कालुलाल पिता श्री मोडा डांगी एक विकलांग व्यक्ति है तथा भूमिहिन काश्तकार है। अपीलार्थी कालुलाल के विकलांगता प्रमाण पत्र जिसके क्रमांक UD ID RJ 3210619670110942 है जिसकी प्रति इस अपील के साथ संलग्न है। तथा अपीलार्थी गरीब व्यक्ति होकर बीपीएल श्रेणी के अन्तर्गत आता हैं तथा उसका बीपीएल सर्वे क्रमांक 52666171 चयन वर्ष 2002 है ऐसी स्थिति में अपीलार्थी एक गरीब परिवार का व्यक्ति होकर विकलांग है तथा जिविका का साधन मात्र इसी भूमि पर निर्भर हैं तथा अपीलार्थी के इसके अलावा खातेदारी भमि करीब 1 बीघा है जिससे आजिविका चलाना सम्भव नहीं हैं और उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई खातेदारी कृषि भूमि नहीं है तथा अपीलार्थी कालुलाल के द्वारा ही भूमि पर भारी लागत लगाकर विकसित की है तथा भूमि को नियमन की पात्रता रखता है। निरन्तर भूमि पर कब्जा चला आ रहा है वर्तमान में ज्वार बोई हुई हैं तथा घास हो रही है। अपीलार्थी द्वारा सपंच, ग्राम विकास अधिकारी धावडिया के विरूद्ध न्यायालय अवमानना की कार्यवाही की गयी है, जिससे मात्र रंजिशवस मुझे परेशान व जलील करने की नियत से तरह–तरह की मिथ्या शिकायत करके कार्यवाहियां करवायी जा रही हैं इसी सन्दर्भ में उक्त व्यक्तियों द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध यह गलत के आधार पर यह कार्यवाही अमल में लायी गयी है। आराजी नम्बर 316 रकबा 16 हेक्टेयर में से 2 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी वं विपक्षी पदमलाल व महेन्द्र का अतिक्रमण के सम्बन्ध में विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द के द्वारा बिना मौके की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट मंगवाये मात्र ग्राम के कुछ व्यक्तियों की शिकायत के आधार पर दिनांक 30.11.2021 को भूमि से कब्जा हटाने तथा अपीलार्थी पर वार्षिक कर निर्धारण ₹250 रू शास्ति आरोपित करते हुए भूमि से भौतिक रूप से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। उक्त वर्णित भूमि पर वर्ष 1970 से पूर्व का कब्जा काश्त होकर काफी लागत लगाकर विकसि[illegible] तथा अपीलार्थी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 व नियम 20(I)([illegible] तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

प.6(21)राज–4/83/5 दिनांक 02.02.1983 के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट के पिता स्व. मोडाजी के समय से लगातार निर्बाधित रूप से कब्जा होने से तथा भूमि किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किये जाने से कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति द्वारा नियमन का अधिकारी हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय को उक्त भूमि पर अपीलार्थी आज से करीब 50–60 वर्षो से भी अधिक समय यानि कि विक्रम सम्वत् 2022 से पूर्व से ही अपीलार्थी कालुलाल अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उक्त भूमि पर भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनायी है तथा भूमि के चारों तरफ पत्थर की कोट बनाई गयी हैं तथा भूमि पर तिल, ज्वार व बाजरे की फसल काश्त करते आ रहे है और निरन्तर 50 वर्षो से अधिक समय से काबिज होने तथा अपीलार्थी एक विकलांग व्यक्ति है तथा भूमिहिन काश्तकार होकर गरीब बीपीएल श्रेण ीके अन्तर्गत आता है जिससे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के नाम नियमन की अनुषंशा के साथ आवंटन हेतु कार्यवाही अग्रेशित करनी चाहिए थी जो नही कर अपीलार्थी को बेदखली का आदेश पारित किया गया हैं जो कानून निरस्त होने योग्य हैं। अपीलार्थी के कब्जे वाली भूमि के आसपास काफि सारी व्यक्यिों द्वारा कब्जा किये हुऐ हैं, फिर भी मात्र अकेले अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषतापूर्ण, भेदभावपूर्ण कार्यवाही कर समानता के अधिकार को दरकिनार करते हुए उक्त कार्यवाही अमल में लायी गयी हैं तथा बिना सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये व्यक्ति विशेष को लाभ पहुचाने की गरज से अमल में लायी गयी है जो विधि के स्थापित सिद्वान्तों के विरूद्ध होकर बिना सम्पूर्ण जाचं किये सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये आदेश पारित किया हैं जो काबिल निरस्त के है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार जयसमन्द तहसील सराडा का आदेश अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी कानूनन उक्त वर्णित भूमि को नियमन कराने का अधिकारी होने से नियमन करायी जावे। अन्य सहायता जो न्यायालय उचित समझे दिलायी जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अधिवक्ता द्वारा उपस्थिति दी गई एवं जवाब पेश कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय नियमानुसार होने से बहाल रखा जाने का निवेदन किया। रेस्पो. न. 2 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं किया गया । रेस्पो. 3 द्वारा जवाब पेश कर अपीलाण्ट के अपील को हूबहू स्वीकार किया एवं आ. न. 316 रकबा 16 हेक्टेयर मे ंसे 2 हेक्टेयर भूमि पर अपीलार्थी एवं रेस्पो. संख्या 2 पदमलाल व रेस्पो. संख्या 3 महेन्द्र का कब्जा होना बताया है। उक्त वर्णित भूमि पर वर्ष 1970 से पूर्व का कब्जा काश्त होकर काफि लागत लगाकर विकसित की है तथा अपीलार्थी राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 व नियम 20(।)(।।) तथा राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6(21)राज–4/83/5 दिनांक 02.02.1983 के अनुसार प्रार्थी/अपीलाण्ट के पिता स्व. मोडाजी के समय से लगातार निर्बाधित रूप से कब्जा होने से तथा भूमि किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किये जाने से कृषि प्रयोजनार्थ भ जा /नियमन सलाहकार समिति द्वारा नियमन का अधिकारी हैं तथा अधिनस्थ न्यायालय को भूमि पर अपीलार्थी आज से करीब

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

50–60 वर्षो से भी अधिक समय यानि कि विक्रम सम्वत् 2022 से पूर्व से ही अपीलार्थी कालुलाल अपने पिता के समय से ही काबिज होकर उक्त भूमि पर भारी लागत लगाकर भूमि को काश्त योग्य बनायी है तथा भूमि के चारों तरफ पत्थर की कोट बनाई गयी हैं तथा भूमि पर तिल, ज्वार व बाजरे की फसल काश्त करते आ रहे हैं अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी हल्का के एक पक्षीय कथन ग्रामवासियों के बहकावे में आकर गलत रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही अमल में लायी गयी है। बिना विपक्षी को भी सुनवाई का अवसर दिये उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो विपक्षी संख्या 3 की आजिविका छिन जाएगी व परिवार के भुखों मरने की स्थिति पैदा हो जाएगी और भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अतः निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये दिया गया आदेश प्रार्थी के मुलभूत अधिकारों के विपरित होकर विपक्षी संख्या 3 को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण को पुनः अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाये जोन का आदेश प्रदान कराया जावें। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये। बहस प्रारम्भ करते हुये अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं लिखित बहस प्रसतुत कर उप तहसीलदार जयसमन्द के प्रकरण संख्या द्वारा प्र.स. 272/2021 ना.क. में निर्णय दिनांक 30.11.2021 को त्रुटि पूर्ण बताया एवं उक्त आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना की। विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. न 3 द्वारा अपनी बहस में जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया जाने का निवेदन किया। राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तर्क दिया कि उपतहसीलदार द्वारा सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी को सुनते हुए निर्णय पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा मामले मे की गई कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर खारिज की जाने का निवेदन किया।

हमने अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली मे अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का अध्ययन किया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट की अपील, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। पत्रावली के गंभीरता पूर्वक अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा धावडिया पटवार हल्का पलोदडा तहसील सराडा की चारागाह भूमि आराजी संख्या 316 रकबा 16 हेक्टेयर में से 2 हे. भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अवेध रूप से अतिक्रमण करने पर उप तहसीलदार जयसमन्द द्वारा नियमानुसार प्रकरण संख्या 272/2021 ना.क. का पंजीबद्ध कर बाद सुनवाई दिनांक 30.11.2021 को अपीलान्ट्स को मौके से बेदखल करने के आदेश प्रदान किये है। अपीलान्ट्स का कथन है कि उन्हे उक्त भूमि पर इनके पिता के समय से लगभग 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा होना एवं अपीलार्थी कालुलाल विकलांग होकर बीपीएल का सदस्य है इनके पास आजीविका का साधन उक्त भूमि से ही होता है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोगो के प्रभाव में आगर उक्त कार्यवाही की है, उक्त निर्णय को निरस्त किया जाकर उक्त भूमि [illegible] नियमानुसार नियमन किया जाने की प्रार्थना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के पत्रावली के अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested

समस्त ग्रामवासी धावडिया द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर नियमानुसार ना.क का धारा 91 प्ररकण 272/2021 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 30.11.2021 पारित कर अपीलाण्ट्स को अतिक्रमी मानते हुए बेदखली का आदेश दिया गया है। उपतहसीलदार जयसमन्द द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट्स को चारागाह भूमि पर मौके से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होते हैं। राजस्थान सरकार, राजस्व ग्रुप 6 विभाग, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.04.2013 मे यह स्पष्ट किया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील न. 1132/2011@SLP(C)No. 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य मे पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 मे चारागाह भूमियों/जोहड़–पायतन और तालाबों की भूमियों मे से निजी अथवा व्यवसायिक उपयोग के लिये दी गई भूमियों अर्थात किये गये आवंटनों को अवैध माना हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त वर्णित निर्णय के क्रम मे उपतहसीलदार जयसमन्द द्वारा अपीलान्ट्स को चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने बाबत् जारी किया गया आदेश नियमानुसार पाया जाता है, जिसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार जयसमन्द जिला उदयपुर द्वारा पारित प्र.स. 272/2021 निर्णय दिनांक 30.11.2021 को यथावत रखा जाता है। साथ ही उपतहसीलदार जयसमन्द को निर्देश प्रदान किये जाते है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे यदि चारागाह भूमि पर और भी ऐसे अतिक्रमण हो तो ऐसे अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए अतिक्रमियों के विरूद्ध भी धारा 91, भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करना सुनिश्चित करावे। अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय की प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ओ.पी. बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2023.08.01 17:08:16 IST
Reason: SelfAttested